

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 439] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 20, 1973/अग्रहायण 20, 1895

No. 439] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 20, 1973/AGRAHAYANA 20, 1895

इस भाग में भिन्न-छ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December 1973

S.O. 787(E).—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected in the constituency referred to therein is published for general information—

DECLARATION

*Election to the House of the People from the 14-Sabarkantha Parliamentary
Constituency in Gujarat State*

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that, Kumari Maniben Vallabhobhai Patel, 42 A/1/Brahmkshatriya Society, Ellisbridge Ward, Ahmedabad, has been duly Elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Shri Chandulal Chunilal Desai.

PLACE:—Himatnagar.

Date:—11th December, 1973

C. P. PATEL,
Returning Officer,
14-Sabarkantha Parliamentary Constituency".
[No. F.13(7)/73-Leg.II]
S. HARIHARA IYER, Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विवाची विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1973

का०-जा०- 787 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के उपबन्धों के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

गुजरात राज्य में 14-साबरकाठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्निष्ठ उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि श्री चन्द्रलाल चुषीलाल देसाई की मृत्यु से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए कुमारी मनिबेन वल्लभभाई पटेल, 42-ए/1/ब्रह्मक्षत्रिय सोसायटी, एलिसब्रिज वार्ड, अहमदाबाद सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई है।

सी० पी० पटेल,

रिटनिंग आफिसर,

स्थान:—हिम्मतनगर

14, साबरकाठा संसदीय, निर्वाचन क्षेत्र।

[सं० एफ० 13(1)/73-विधा० II]

तारीख :—11 दिसम्बर, 1973

एस० हरिहर अय्यर संयुक्त साक्ष्य।